संख्या-143/2015/आर-3884/26-3-2015-4(154)/2005टी.सी।

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 दिसम्बर,2015

विषयः- संविधान की धारा 275 (1) के अन्तगत एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा खीरी के छात्राओं हेतु छात्रावास, कार्मिक आवास, रि-बोरिंग व अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2378/26-3-2014-4(154)/2005टी.सी.।, दि0-12.01.2015 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-233/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-19.10.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तगत केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तगत संचालित एकलब्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा खीरी में छात्रावास, कार्मिक आवास, रि-बोरिंग व अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपया-121.04 लाख (रूपया एक करोड़ इक्कीस लाख चार हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(रूपये लाख में)

क.स.	विद्यालय का नाम	प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि (समेकित में)	अवशेष धनराशि जिसकी समेकित रूप में स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
	एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय की छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण	222.94	222.94	363.30	121.04
	एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के कर्मचारी आवास टाइप-2 10 नग	101.20	101.20		
	रि-बोरिंग पम्प	7.63	7.63		
	अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	152.57	152.57		
		484.34	**484.34**	**363.30**	**121.04**

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को निदेशक, जनजाति विकास द्वारा तत्काल आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कान्सट्रक्शन इन्फ्रासट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन, लि0 को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिया जायेगा। धनराशि प्राप्त होने के बाद भी यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब से यदि लागत में बृद्धि होती है तो उसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)- कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हों।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी.एल.ए./बैंक/ डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(5)- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तगत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-143/2015/आर-3884(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।